Fillicate of Non-Availability of land for Compensatory Afforestation in the District Kullu.

N: 7186: DRA

Dated: 26-9-2015.

- I, Rakesh Kanwar, Collector of District Kullu do hereby certify that:
- Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jhari-land, civil-doyam lands and all such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the forest Department) or which the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 are applicable available in each Sub-Division of this District have been examined; and
- (ii) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy mysel for issue of this certificate.

On the basis of examination of all relevant records and such furthe enquiry, as was required for the issue of this certificate, I do hereby certify that non-forest land revenue lands, zudpi jungle, chote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jungle jhari-land, civil-doyam lands and al such categories of Forest lands (except the forest land under managemen and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as pet the extant guidelines of the Central Government may be utilized for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire Kullu District. This Certificate being issued in favour of Executive Engineer, Kullu Divisio No. II HPPWD Kullu for the Construction of The link road to village Buai in Tehsil and District Kullu (HP).

Issued under my hand and seal on this 20 day of Sept. 2015.

(Rakeshi Kanwar)

District Collector

Kuilu.

## कार्यालय उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू । अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र

उप मण्डल अधिकारी (ना0), कुल्लू जिला कुल्लू , वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू , तहसीलदार कुल्लू , वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र भूट्टी, कानूनगो (बन्दोवस्त) कुल्लू , प्रधान ग्राम पंचायत ब्राहमन, प्रधान ग्राम वन समिति ग्राम पंचायत ब्राहमन एवं अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कुल्लू द्वारा दिनांक 09–06–2016 को किए गए संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करके 33/11 के0वीं0, 2X1.6 MVA के निर्माण हेतु वन भूमि रक्वा तदादी 0.12 हैक्ट0 सव स्टेशन भूटटी स्थित दडका तहसील व जिला कुल्लू के हस्तान्तरण बारे अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अधिक उपयुक्त है तथा उपरोक्त प्रयोजन हेतू प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि उपलब्ध न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि रक्वा तदादी 0.12 हैक्ट0 सव स्टेशन भूटटी स्थित दडका तहसील व जिला कुल्लू को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

लिमिटेड कुल्लू के नाम अर्जन हेतु अन्नोपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Sr. XEN CONTINUES of the Arman Arman D/B, EA GA, Steppe

प्रतिलिपि:-

<u> 1460-61</u> / डी०आर०ए०

(एच०आर०चौहान) जुपायुक्त कुल्लूो

दिनांक:- 25-07-2116

1. वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू को प्रेषित कर अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर उसकी एक प्रतिलिपि आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरन्त इस कार्यालय को प्रेषित करें।

2. अधिशाषी अभियन्ता, ईलैक्ट्रिक्ल, डिविजन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड कुल्लू को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।

Deresto

(एच०आर०चौहान) उपायुक्त कुल्लू।